Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.6, Issue-III, January 2021

अनुसूचित जाति के अधिकारों का क्रियान्वयन और मूल्यांकनः एक विधिक अध्ययन
(Implementation and Evaluation of Rights of Scheduled Castes: A Legal Study)

Bistariya Patil
LL.M.,
Institute of Law,
Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh, (India)
Email: bistariyapatil1503@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4189-666X
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v6n3.09

संक्षिप्त रूप

मानव समाज के विकास का अध्ययन किया जाये तो आप और हम पायेगे कि पुरा पाषण काले से लेकर वर्तमान तक मानव संघर्षशील प्राणी रहा हैं। यह स्थिति भारत की नही बल्किी समूचे विश्व की है क्योकि मानव सभ्यता का विकास जिन क्षेत्रों में हुआ है। वहॉ पर मानव को जीवन जीने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा है। मानव ने समाज के विकास के लिए जो संधर्ष किया है उसके प्रमाण देश–देश, शहर–शहर, और गॉव–गॉव तक में देखने को मिलते है। अलग–अलग देशों में मानव समाज के विकास के लिए अलग–अलग तरह की बाधॉएँ एवं समस्यायें आती रही है जिनमें से भारत में भी एक समस्या है। जो मानव सथ्यता के विकास में और भारत की एकता में हमेशा बाधक रही है। जिसको जातिवाद के नाम से जाना जाता है। इस शोध पत्र के माध्यम से समाज में एकता व सदभाव को बढ़ावा देना है। और जिन क्षेत्रों में जातिवाद के नाम पर भेद भाव हो रहा हैं उन विसंगतियों को पता लगाना और उन कारणों को दूर करने के उपाय खोजना है।

शब्दकुंजीः अनुसूचित जाति के संवैधानिक उपबन्ध, अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिति, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जातियां मण्डल आयोग, न्यायिक दृष्टिकोण, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र इतयादि।

परिचय

विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किये गये है। जिसमें मानवों के साथ होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया गया है। वही भारतीय संविधान में भी मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों की व्यावस्था की गई है। हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू है जिसमें प्रत्येक मानव को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो अपने अनुसार जीवन यापन कर सकता है। लेकिन कुछ असमाजिक तत्वों के बहकावे में आकर सदभाव व भईचारे को लोग भूल जाते है और जातिगत भेदभाव में उलझ जाते है। और अलग–अलग जाति के होने की बजह से लोग आपस में बैर भाव रखने लग जाते है।

वर्तमान में अनुसूचित जाति की स्थिति

जैसा की हम सभी जानते है कि अनुसूचित जाति के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में विषेश उपबन्ध किये है। अनुसूचित जाति के लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर मिले इसके लिए

भारतीय संविधान के साथ–साथ और भी कई कानून बनाये गये लेकिन इन कानूनों का प्रभावपूर्ण तारीके से क्रियान्यवयन नही हो पाया जिसका मुख्य कारण भाई–भतीजावाद, बेरोजगारी, अशिक्षा है। इन सभी करणों की बजह से आज भी स्थिति जस की तस है।

वर्तमान में तीव्र बदलती हुई परिस्थितियों और महॅगी होती जा रही शिक्षा के कारण अनुसूचित जातियों के विकास में अैर अधिक दूरी पैदा हो रही है। वही देखा जाये तो अन्य वर्गों द्वारा भी जातिवाद के भेदभाव करने के कई कारण मिलते है। उनको लगता है कि आरक्षण की बजह से अनुसूचित जाति के सदस्यों को कम प्रतिशत पर नौकरी मिल जाती है और वो लोग रह जाते है इस लिए भी उनको कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लाभ से वंचित रखा जाता रहा है। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से अनुसूचित जाति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबन्ध, अनुसूचित जातियों के अधिकारों को क्रियान्वित और उनके भविष्य के लिए प्रशासनिक कल्याणकारी योजना का प्रारंभ होने पर भी अनुसूचित जाति वर्तमान में आगे आने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाई है।

भारतीय कानून का दृष्टिकोणः

भारतीय संविधान

अनुसूचित जाति के उत्थान एवं उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गये है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किए गये है जिनमें भेदभाव से लेकर छुआ–छूत को मिटाने तक प्रावधान किये गये है। अनुसूचित जाति आयोग के सम्बन्ध मे अनुच्छेद 338 में प्रवधान किये गये है। अनु. 15 की या अनु. 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों की उन्नति के लिए विषेष उपबन्ध करने का प्रावधान किया गया है।

भारत में संविधान का पालन करते हुए अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु अधिमन्यता देती है। जिसके कारण समाजिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जातियों के सदस्यों को समृद्व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका मिलता है। और समानता के अधिकार के तहत आर्थिक स्थितियों के अनुरूप आर्थिक समानता के लिए कोई विशेष उपबन्ध नही मिलता न ही कोई पहल की गई है। केवल प्रस्तावना का अध्ययन करने पर ही पता चलता है कि आर्थिक समानता का भी जिक्र है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया है हालाकि ये अधिनियम हमेशा विवादित स्थिति में रहा है जिसके कारण इसमें समय समय पर संशोधन भी किये जाते रहे है। फिर भी कुछ असमाजिक तत्वों पर जो कुठिंत मानसिकता के आधार पर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करते थे उन पर कुछ हद तक लगाम लगायी गई है। आज भी कई जगहों पर इन जातियों पर अत्याचार देखने को मिलते है।

अस्पृश्यता आचरण अधिनियम 1955

इसके सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति यदि कोई व्यक्ति छुआ छूत जैसी कुरीतियों को बढ़ाबा देता है। और इन जातियों के साथ जातिगत भेद भाव करता है तो अस्पृश्यता आचरण अधिनियम 1955 के अर्न्तगत दण्ड का भागी होता है।

अन्य विधियॉ

भारत सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जातियों को आरक्षण के अधार पर सरकारी पदों पर नियुक्तियॉ प्रदान करती है। और आर्थिक स्थितियों की रक्षा और सुधार करने के लिये कई नियमों (Rules) व कानूनों (Law) को समय–समय पर लागू करती है।

2011 की जनगणना के अधार पर अनुसचित जातियों की स्थिति

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.60 रहा है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1 करोड़ 13 लाख 42 हजार है।[1] अनुसूचित जातियों के विधिक प्रावधानों का उन तक लाभ पूर्ण रूप में नहीं पहुँच रहा है। जिससे यह एक विशिष्ट समस्या के रूप में समाने आ रहा है कि आरक्षण के होते हुए भी आज अनुसूचित जाति पिछड़ी हुई बन कर रह गई हैं।

प्रशासनिक व संवैधानिक उपबन्ध

प्रशासनिक विधि का अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व प्रशासन में भागीदारी के सुनिशचित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि प्रशासनिक कार्यो के कार्यावन्यन के लिए नियम, विनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के भगीदारी के लिए प्रावधान कर उनका उत्थान किया है। वही संसद द्वारा भी कानून का निर्माण कर विभिन्न आयोगों की स्थापना करके प्रशासन के कार्यो व नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को विशेष स्थान प्रदान करती है। प्रशासन अनुसूचित जातियों के लोगों और उच्च वर्गों के बीच समानता स्थापित करने के पूर्ण प्रयास कर रही है। उन अधिकारियों को शक्ति के दुरूपयोग को रोकता है जो अनुसूचित जाति के लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न करते है। और उन्हें नैसर्गिक न्याय से वंचित करता है।[2]

1. सकारात्मक कार्यवाही– समाज की मुख्यधारा के साथ अनुसूचित जातियों की एकीकरण में तेजी के लाने के लिये एक साधन के रूप में उच्च शिक्षा के लिए नौकरियों और उपयोग के आवंटन में सकारात्मक उपचार प्रदान किया गया है। सकारात्मक कार्यवाही लोकप्रिय आरक्षण के रूप में जाना जाता है।
2. विकास– अनुसूचित जातियों और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने के लिए संसाधनों द्वारा यह बताया गया है।
3. शैक्षिक सुविधाए– I.T.I इंजीनियरिंग कॉलेजों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये सीटों का आरक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये सीटों का आरक्षण।
    - विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिये अलग से कनिष्ट अनुसंधान छात्रवृत्तियों अनुपात आयोग, परिष्ट अनुसंधान छात्रवृत्तियों अनुसंधान एसोसियेट।

[1] 2011 की जनगणना के अनुसारः Pooja Law House, https//www.mpgkpdf.com visited on 10th January 2021.

[2] अनुसूचित जाति और उठाये गये कदम–पुस्तक सामूहिक हिंसा एवं आपराधिक न्याय प्रणाली, लेखक, विजय विक्रम सिंह, संस्करण, 2018, पूजा लॉ हाउस, इंदौर, पृ. 98।

- केन्द्र/राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिये स्कूल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा।
- विकास निगम अनुसूचित जातियों के लिये यह नियम 1989 में स्थापित किया गया है। नियम में अनुसूचित जातियों के लिये रोजगार।
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान, पीएच.डी. छात्रवृत्ति।
- अनुसूचित जातियों के प्रत्येक जिलों में विशेष छात्रावास केन्द्र, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों शिक्षायुक्त छात्रावास।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- ग्रामीण अनाथ बैंक योजना गरीब कल्याण योजनाओं के कार्यक्रमों का प्रदान करना।
- अनुसूचित जातियों की कन्याओं के लिये स्कूली सहायता राशि प्रदान की जाये।
- स्कूलों में मध्यान्ह की सुविधाएं की उपलब्धता।
- आवासीय छात्रावासों की सुविधाएं उपलब्ध करवाता।

अनुसूचित जाति आयोग अनु. 338[3]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया हैं। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जायेगा। संसद द्वारा इस निमित बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग का एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदविधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

राष्ट्रपति के अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अन्य सदस्य की नियुक्ति होगी। कि वह अनुसूचित जातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त कोई विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन सभी विषयों का अन्वेषण करें। विशेष शिकायतों की जाँच करे सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की प्रक्रिया में भाग ले। समय पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे।

अनुसूचित जातियां अनु. 341[4]

राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है कि वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्ष करने के पश्चात् लोक अधिकसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति समझों जायेगा।

संसद विधि द्वारा किसी जाति मलूवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार म. प्र. के उन जिले में जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है–

अधिनितम न्यूनतम

[3] संवैधानिक उपबंधः पुस्तक विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, अनु. 338 राष्ट्रीय SC आयोग, पृ. 89, विधि और समुदाय अनु. 341 अनुसूचित जातियां, पृ. 88, अमर पब्लिकेशन, पुस्तक, अंकिता पाल, अमर लॉ पब्लिकेशन।

[4] वही।

1. उमरिया	1. झाबुआ
2. अनूपपुर	2. अलीराजपुर
3. इंदौर	3. डिडौंरी
4. भोपाल	4. छिंडवाडा
5. शहडोल	5. उमरिया

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में उन जिलों में अधिकतम व न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या पाई जाती है।

अधिकतम	न्यूनतम
1. उज्जैन	1. झाबुआ
2. दतिया	2. अलीराजपुर
3. टीकमगढ़	3. मण्डला
4. शाजापुर	4. डिडौंरी
5. छतरपुर	5. बडवानी

विशेष न्यायिक व्यवस्था [5]– अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त की गई है जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए संरक्षण कल्याण और विकास के उन्ययन के संबंध में ऐसे प्रतिवेदन की तक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जायेगी जो उस राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

उससे संबंधित राज्य को सिफारिश की स्वीकृति की जायेगी वाद से सम्बंधित शक्तियों सिविल न्यायालय में होगी।

- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन कराना।
- दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
- शपथ पत्रों किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।
- साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।
- संघ व प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोग की परामर्श होगा।

मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र[6]– हमारे देष में अनुसूचित जातियों एवं भारत के सभी मानवों के लिए 1948 में एक मानवाधिकार का घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें प्रकृति के अधिकार को स्वीकृत किया गया तथा धर्म मूलवंष, लिंग जाति वर्ण आदि के आधार पर मान्यताओं का वर्गीकरण किया गया है।

[5] संवैधानिक उपबंधः पुस्तक विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, अनु. 338 राष्ट्रीय SC आयोग, पृ. 89,। विधि और समुदाय अनु. 341 अनुसूचित जातियां, पृ. 88, अमर पब्लिकेशन, पुस्तक, अंकिता पाल, अमर लॉ पब्लिकेशन।

[6] मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 – लेखक, जितेन्द्र कुमार उपाध्याय एन. टी. ए. द्वारा संचालित (विधि) पृ. 225, चतुर्थ संस्करण, 2019।

दैहिक सुरक्षा, दासता से मुक्ति, समान सिविल संहिता, संरक्षण, संस्कृति व वेतन पाने का अधिकार, व्यवसाय चुनने का अधिकार, मानवाधिकार की घोषणा में दिया गया है। तथा सभी प्रकार की जातिगत भेदभाव को समाप्त करने हेतु अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर न्याय व सम्मान प्राप्त हो सके।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये अनु. 330 में लोकसभा, तथा अनु. 332 में राज्यसभा में सीटों के आरक्षण दिया गया है। तथा अनु. 335 में सेवाओं और पदो ंके लिये दावे का प्रावधान है।

न्यायिक निर्णय –

बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय[7] के मामले में यह निर्धारित किया गया कि उच्च जाति की महिला यदि पिछड़ी जाति के सदस्य से विवाह कर लेती है तो उसे अनु. 15(4) तथा 16(4) का लाभ नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार का निर्णय **मीरा कनवरिया बनाम सुनीता**[8]**,** में दिया गया। अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लेने पर उच्च जाति के पुरूष को इस वाद में आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया।

पी.व्ही. श्रीवास्तव बनाम म.प्र. राज्य[9] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में परास्नातक के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेष केवल योग्यता के आधार पर ही दिया जाना चाहिए न कि आरक्षण के आधार पर।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य का यह कर्तव्य है कि सम्पूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा यह **श्रीमति सरला मुदगल प्रेसीडेट एवं अन्य बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया व अन्य**[10] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी समुदाय धर्म आधार पर समाज सिविल संहिता के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता है।

उदाहरण– एक जिले में गणतंत्र के अवसर पर प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि ध्वजारोहण ग्राम पंचायत की एक अनुसूचित जाति की महिला संरपच द्वारा कराया जाये। एक वर्ग के कुछ शरारती तत्वों को ये बात बड़ी असंभावना जनक स्थिति गुजरी। ध्वजारोहण की कार्यवाही स्थगित तो नहीं की जा सकती है। एक साजिश के तहत फहराये जाने वाले झण्डे की रस्सी में गांठ इस तरह बाँध दी की। वो खुल न सके, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जब झंण्डा फहराने का प्रयास किया गया तो बड़ी हास्यस्पद स्थिति बनी। झण्डे की गांठ ही नहीं खुली। देश का यह प्रतिष्ठित उत्सव एक मजाक बनकर रह गया। जिसका एक मात्र कारण था महिला संरपच का दलित होना।

अनुसूचित जातियॉ वर्तमान में क्यों विकास नहीं कर पा रही है। उच्च स्थानों में क्यों नहीं आ पा रही। उनके पारिवारिक आर्थिक क्या कमजोरियाँ है। निम्न रूप में इस प्रकार हैं–

1. अनुसूचित जाति के लोगों के मध्य भाईचारे, एकता का अभाव।
2. आलस्य प्रवृत्ति।
3. रूढ़िवादिता।

[7] (AIR 1996) 35 SC (545).
[8] AIR 2006 SC 597
[9] AIR 1999 SC 2894
[10] AIR 1995 SC 153.

4. महिलाओं की अपेक्षा– उन्हें शिक्षा, सम्मान व आगे लाने की कल्याणकारी योजना का उन महिलाओं तक न पहुँचना जो पिछड़े क्षेत्र में रहती है।
5. अश्लीलता, मादक पदार्थो का सेवन।
6. पारिवारिक आर्थिक स्थिति।
7. लोगों का शिक्षा के प्रति जागरूकता न होना।
8. बेरोजगारी एवं अकर्मटता
9. आरक्षण व सरकारी योजना की जानकारी न होना।
10. क्षेत्रीय विकास में असमानता– म.प्र. के अनेक क्षेत्रों में अनेक विकास की असमानता विद्यमान है। जो आधुनिक समाज में प्रगति में बांधा उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधिक विचारों को सामाजिक वास्तविकताओं को समझते समय अनुसूचित जातियों के वर्गों को दूसरे समाज से अलग रखा गया है। व्यवसायी स्थिति को देखकर हमारे समाज के लोगों में विवेद अनुसूचित जातियों के प्रति बढ़ता जा रहा है। अनुसूचित जातियों से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किये गये है। ताकि सामाजिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उचित निधान किया जा सके। अधिनियम जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, अनुसचित जाति एवं जनजाति 1989 अधिनियम पारित किये गये है। अधिनियमों में नवीनतम कानूनी परिवर्तन किये गये है, ताकि सामाजिक परिवेश के साथ–साथ अनुसूचित जातियों का विकास उच्च स्तर पर किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों के विकास में कल्याणी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति तक पहुँचाये जाने के प्रयास तथा अनुसूचित जातियों के अधिकारों का उन वर्गों तक पहुँचाना जो उन्हें प्रदान की गई है।

****